झारखण्ड़ राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

नगर प्रशासन भवन, एच०ई०सी० परिसर, धुर्वा, राँची–8240004

लोक सुनवाई की सूचना

मेसर्स राम सेवक यादव, बड़ाझींकपानी लाईम स्टोन माईन, ग्राम–बड़ाझींकपानी, जिला–पश्चिम सिंहभूम के द्वारा प्रस्तावित 179987.79 टी.पी.ए./प्रतिवर्ष लाईम स्टोन के स्थापनार्थ पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की तिथि दिनांक **18.10.2014 (दिन–शनिवार)** को पूर्वाहन **11.00** बजे **राज्य सम्पोषित + 2 उच्च विद्यालय, ग्राम–टोन्टो, जिला–पश्चिम सिंहभूम** में निर्धारित की गई है ।

उक्त योजना से सम्भावित प्रभाव से प्रभावित होने वाले लोगों/नागरिकों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि लोक सुनवाई में उक्त तिथि, समय एवं स्थान पर आवश्यक रूप से भाग ले एवं अपने विचार से अवगत करायें। इसके अतिरिक्त वे अपना सुझाव, विचार, मतव्य अथवा आपत्ति यदि हो तो लिखित रूप से सूचना उक्त लोक सुनवाई की तिथि से **एक सप्ताह पूर्व** तक झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, टी०ए० भवन, पोस्ट धुर्वा, राँची/जिले के उपायुक्त कार्यालय, **पश्चिम सिंहभूम,** पर्षद के **क्षेत्रीय कार्यालय सह प्रयोगशाला, एम0बी015, न्यू हॉउसिंग कॉलोनी, आदित्यपुर, जमशेदपुर** में उपलब्ध करा दें।

निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले किसी भी प्रकार की आपत्ति/सुझाव पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जायेगा। लोक सुनवाई की प्रक्रिया पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की ई०आइ०ए० अधिसूचना संख्या एस०ओ० 1533 दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या एस0ओ03067(ई०) दिनांक 01.12.09 के अनुरूप होगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त प्रोजेक्ट का ड्राफ्ट पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तथा इसके सारांश की एक एक हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ रखी रहेगी। साथ ही कार्यकारी सारांश भी इन कार्यालयों से ही प्राप्त किया जा सकता है।

1. उपायुक्त कार्यालय, **पश्चिम सिंहभूम**
2. जिला उद्योग केन्द्र, **पश्चिम सिंहभूम**
3. जिला पर्षद/नगर निगम **पश्चिम सिंहभूम**
4. मुख्यालय, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, टी०ए० भवन, पोस्ट धुर्वा, राँची।
5. क्षेत्रीय कार्यालय, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, **एम0बी015, न्यू हॉउसिंग कॉलोनी, आदित्यपुर, जमशेदपुर**
6. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय,ए–3,चन्द्रशेखरपुर, भुवनेश्वर–751023
7. संबंधित पंचायत।
8. संबंधित प्रखण्ड विकास पदा०/अंचलाधिकारी कार्यालय।

(डा०महेन्द्र महतो)
सदस्य सचिव